अवर न्यायाधीश
सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0– 665 सन् 2013

अरूण कुमार.....वादी
बनाम
बिजेन्द्र शुक्त.....प्रतिवादी

दिनांकः–
09.08.2019

उभय पक्षों की ओर से हाजिरी दी गई। अभिलेख को वादी का आवेदन दिनांक 01.05.2019 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी द्वारा एक आवेदन अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दाखिल किया गया। जिसमें वादी का कहना है कि टंकक की गलती से कुछ आवश्यक तथ्य वादपत्र में छूट गया है जो वाद निस्तारण हेतु आवश्यक है एवं प्रस्तावित मरम्मती से मुकदमें के प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

दूसरी तरफ प्रतिवादी द्वारा इस आवेदन का जवाब दाखिल किया गया, जिसमें प्रतिवादी का कहना है कि मरम्मती का आवेदन दिनांक 01.05.2019 कानूनन खारिज योग्य है, क्योंकि वादी ने यह आवेदन काफी विलंब से दाखिल किया है जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मरम्मती का आवेदन वाद बिंदु के गठन के पहले ही दाखिल किया जाना चाहिए, जबकि वर्तमान में वाद साक्ष्य हेतु लंबित है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट होता है कि वाद वादी के साक्ष्य हेतु लंबित है एवं जो मरम्मती वादी अपने आवेदन के द्वारा अपने वादपत्र में करवाना चाहते हैं, वह सामान्य प्रकृति का है एवं इससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना ही वाद की मूल प्रकृति परिवर्तित ही होती है।

अतः वादी के आवेदन दिनांक 01.05.2019 को स्वीकृत किया जाता है तथा वादी को यह निर्देश दिया जाता है कि समय सीमा के अंतर्गत अपने वादपत्र में संशोधन कर लें।

वादी के साक्ष्य हेतु दिनांक– 06.09.2019

सब जज
सोनपुर सारण।